न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
021/2019(रसद) (GCMS 2019/00295)	24.12.2019	05.04.2022

अनवान

नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेश सेठिया पिता शान्तिलाल जाति सेठिया जैन उम्र 44 साल निवासी भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़
मो.नं. 99296 86822

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– यशवन्त पुरी — अधिवक्ता अपीलार्थी
हितेश जोशी — पैरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 6 ग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.11.2017 न्यायालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 83/2016 अनवान सरकार बनाम नरेश सेठिया

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 01.11.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को जिला कलक्टर रसद चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थो के (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के उपबन्ध व शर्तो के अधीन भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़ के वार्ड नंबर 3 व 5 (गौदाम + दुकान) क्षेत्र के लिये उचित मूल्य दुकानदार के रूप में प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 दिनांक 31.01.2003 द्वारा अधिकृत किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायाालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने विधि विरूद्ध कार्यवाही कर दिनांक 01.11.2017 को निर्णय पारित कर निर्णय में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपीलांट का दण्डनीय अपराध मानकर नरेश सेठिया उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नंबर 5, 9 भादसौडा तहसील भदेसर का मानकर अपीलांट का उक्त प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 निरस्त कर दिया और अपीलांट की समस्त प्रतिभूमि राशि जप्त करने का निर्णय पारित किया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट की ओर से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरित होकर अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बतायी निबंधन की 13 शर्तो के साथ प्राधिकार उचित मूल्य दुकानदार के लिये विशेष शर्तो के क्रम संख्या 14 से 18 में बताये विवरण के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया खारीज किये जाने योग्य है। अपीलांट को प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 नरेन्द्र कुमार पिता शान्ति लाल सेठिया निवासी भादसौडा उचित मूल्य दुकानदार भादसौडा वार्ड नंबर 3 व 5 का जारी किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत नाम नरेश सेठिया उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नंबर 5, 9 भादसौडा बताकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। वर्तमान में पूर्व वार्ड नंबर 3, 5 का नया वार्ड नंबर 9 बना है, जिसका प्राधिकार पत्र वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के नाम जारी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.2016 को अपीलांट को अपने कार्यायलय में बुलाकर राज्य सरकार की पोस मशीनों हेतु पोस मशीन संख्या 24453 वार्ड नंबर 9 के लिये हस्ताक्षर करा कर दी थी जो आज भी अपीलांट के पास है। अपीलांट ने पोस मशीन लेकर संबंधित अधिकारी व कर्मचारीगण को कहा की उसके वार्ड नंबर 9 में निवासरत परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण करने हेतु उसे पिछले कई समय से खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है जो उसे समय पर नियमानुसार उपलब्ध करायी जावें। इसके लिये उसने लिखित में भी प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिया था ताकि वह क्षेत्र के परिवारों को नियमानुसार खाद्य सामग्री वितरण कर सके। इस पर उसे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया लेकिन अपीलांट को खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गई। कई बार अपीलांट जिला रसद विभाग के कार्यालय में गया फिर भी उसे सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गई। अंतिम बार दिनांक 03.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के कार्यायल में गया तो उसे कर्मचारी द्वारा बताया गया कि आपका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है। इस पर उसने बिना देरी के प्रार्थना पत्र पेश कर संबंधित उक्त पत्रावली की निष्रय सहित प्रमाणित नकले प्राप्त करी तो पता चला की विभाग ने अपने स्तर पर अपीलांट की जानकारी के बिना विधि विपरित मनमर्जी से एक तरफा कार्यवाही कर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। उसके बाद अपीलांट ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर बिना देरी के यह अपील तैयार करवा निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2019 से अन्दर अवधि एक मास यह अपील पेश है, फिर भी कानूनी अडचनों से बचने के लिये धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपीलांट के अलग से पेश किया जा रहा है जिससे यह अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधि समायत कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने हेतु यह अपील पेश है। अपीलांट दिनांक 03.06.2016 को केवल मात्र पोस मशीन दी गई उसके पहले काफी समय से व उसके बाद आज तक वार्ड में निवासरत परिवारों को वितरण हेतु खाद्य सामग्री अपीलांट को उपलब्ध ही नहीं करायी गई तो प्राधिकार पत्र की शर्तो व विभाग के निर्देशों के उल्लघंन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 06.06.2017 में आईन्दा दिनांक 01.09.2017 की पेशी लिखी है। उसके बाद दिनांक 01.11.2017 की फर्द अहकाम लिखकर काटी गई है फिर दिनांक 01.09.2017 की फर्द अहकाम लिखी है जिसमें अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का उल्लेख है लेकिन अन्त में पीठासनी अधिकारी के हस्ताक्षर है जिसके नीचे दिनांक 01.11.2017 लिखी गई है। दिनांक 01.11.2017 की कोई फर्द अहकाम पत्रावली में नहीं लिखी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मर्जी से एक तरफा कार्यवाही पूरे प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध करी है। इस कारण इस पैरा में बताये गये तथ्यों के आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.11.2017 को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 पुनः बहाल तत्काल प्रभाव से किया जावें और अपीलांट को समय–समय पर भादसौडा के पूर्व वार्ड नंबर 3, 5 के स्थान पर बने नये वार्ड नंबर 9 के लिये खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जावें ताकि वह क्षेत्र के परिवारों को प्राधिकार पत्र की शर्तो के अनुसार खाद्य सामग्री का वितरण कर सके। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.11.2017 के बाद व दौराने अपील के विचारण उक्त वार्ड नंबर 9 का प्राधिकार पत्र अपीलांट के अलावा अन्य व्यक्ति व दुकानदार को जारी कर दिया जावें तो उसे निरस्त कर अपीलांट के नाम जारी किया जावे। अन्य कोई सहायता अपीलांट को कानून मिल सके वह दिलाई जावें।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/रसद/प्रा.धि./83/2016/4259 दिनांक 28.09.2021 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 83/2016 निर्णय दिनांक 01.11.2017 अनवानी सरकार बनाम नरेश प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 05.04.2022 को पैरोकार सरकार ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया।

इस पर सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अपीलांट को प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 नरेन्द्र कुमार सेठिया निवासी भादसौडा उचित मूल्य दुकानदार भादसौडा वार्ड नंबर 3 व 5 का जारी किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत नाम नरेश सेठिया उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नंबर 5, 9 भादसौडा बताकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। वर्तमान में पूर्व वार्ड नंबर 3, 5 का नया वार्ड नंबर 9 बना है जिसका प्राधिकार पत्र वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के नाम जारी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.2016 को अपीलांट को अपने कार्यायल में बुलाकर राज्य सरकार की पोस मशीनों से सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण योजना के प्रभावी संचालन हेतु पोस मशीन संख्या 24453 वार्ड नंबर 9 के लिये हस्ताक्षर करा कर दी थी जो आज भी अपीलांट के पास है। अपीलांट ने पोस मशीन लेकर संबंधित अधिकारी व कर्मचारीगण को कहा की उसके वार्ड नंबर 9 में निवासरत परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण करने हेतु उसे पिछले कई समय से खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है जो उसे समय समय पर नियमानुसार उपलब्ध करायी जावें। इसके लिये उसने लिखित में भी प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिया था ताकि वह क्षेत्र के परिवारों को नियमानुसार खाद्य सामग्री वितरण कर सके। इस पर उसे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया लेकिन अपीलांट को खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गई। कई बार अपीलांट जिला रसद विभाग

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के कार्यालय में गया फिर भी उसे सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गई। अंतिम बार दिनांक 03.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के कार्यायल में गया तो उसे कर्मचारी द्वारा बताया गया कि आपका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है। इस पर उसने बिना देरी के प्रार्थना पत्र पेश कर संबंधित उक्त पत्रावली की निण्रय सहित प्रमाणित नकले प्राप्त करी तो पता चला की विभाग ने अपने स्तर पर अपीलांट की जानकारी के बिना विधि विपरित मनमर्जी से एक तरफा कार्यवाही कर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। उसके बाद अपीलांट ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर बिना देरी के यह अपील तैयार करवा निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2019 से अन्दर अवधि एक मास अपील न्यायालय में पेश की है। फिर भी कानूनी अडचनों के बचने के लिये धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रार्थी/अपीलांट के पेश किया गया है।

इस पर विद्वान पैरोकार ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा तथा बाद में जानबूझकर अनुपस्थित रहा जिससे न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 01.11.2017 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ने अपीलांट का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। अपीलांट प्रकरण में विचारणीय बिन्दु न्यायिक तार्किक एवं बहुमूल्य अधिकारों से संबंधित है जिनका मयाद के तकनिकी बिन्दु पर न्याय से अपीलांट को वंचित कर निर्णित किया जाना न्याय संगत नहीं है जिससे समस्त देरी को कंडोन किया जाकर अपील दर्ज फरमा गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रकरण में मियाद का एक महत्वपूर्ण तथ्य है ऐसी स्थिति में मियाद प्रार्थना पत्र का निर्णय मूल अपील के साथ किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः निर्णय मियाद प्रार्थना पत्र को रिजर्व रखा जाता है।

इस के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलांट को जिला कलक्टर रसद चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थो के (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के उपबन्ध व शर्तो के अधीन भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़ के वार्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नंबर 3 व 5 (गौदाम + दुकान) क्षेत्र के लिये उचित मूल्य दुकानदार के रूप में प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 दिनांक 31.01.2003 द्वारा अधिकृत किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायाालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने विधि विरूद्ध कार्यवाही कर दिनांक 01.11.2017 को निर्णय पारित कर निर्णय में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपीलांट का दण्डनीय अपराध मानकर नरेश सेठिया उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नंबर 5, 9 भादसौडा तहसील भदेसर का मानकर अपीलांट का उक्त प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 निरस्त कर दिया और अपीलांट की समस्त प्रतिभूमि राशि जप्त करने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरित होकर अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 में बतायी निबंधन की 13 शर्तो के साथ प्राधिकार उचित मूल्य दुकानदार के लिये विशेष शर्तो के क्रम संख्या 14 से 18 में बताये विवरण के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया खारीज किये जाने योग्य है। अपीलांट को प्राधिकार पत्र संख्या 31/2003 नरेन्द्र कुमार पिता शान्ति लाल सेठिया निवासी भादसौडा उचित मूल्य दुकानदार भादसौडा वार्ड नंबर 3 व 5 का जारी किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत नाम नरेश सेठिया उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नंबर 5, 9 भादसौडा बताकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। वर्तमान में पूर्व वार्ड नंबर 3, 5 का नया वार्ड नंबर 9 बना है, जिसका प्राधिकार पत्र वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के नाम जारी नहीं किया गया है।

इस पर पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का दृष्टिपात कराया एवं बताया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 10.05.2016 को प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2016 के आधार पर अपीलांट को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाकर पोस मशीन प्राप्त नहीं करने के संबंध में एवं सीडिंग कार्य में भी उदासीनता एवं लापरवाही के बाबत् जवाब/साक्ष्य चाहे गये। उक्त नोटिस अपीलार्थी को दिनांक 31.05.2016 को प्राप्त हो गया जिसकी तामील प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार से कोई युक्ति–युक्त जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की पोस मशीनों से सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण योजना में उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई जो गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, उक्त गम्भीर अनियमितता के कारण जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति जब्त करने के आदेश दिये गये है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। अपीलार्थी ने खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नही की अनजाने मे प्रकिया सम्बन्धि प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके लिये प्रताडना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 031/2003 बहाल फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों में इस तथ्य को उठाया गया है कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा नरेश सेठिया के विरूद्ध कार्यवाही अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपील मेमों में अपना नाम नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेश सेठिया पिता शान्तिलाल जाति सेठिया जैन उम्र 44 साल निवासी भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़ अंकित किया है ऐसी स्थिति में इस अपीलार्थी द्वारा उठाया इस संबंध में उठाया गया उज्र स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन अधिकारी भदेसर की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2016 के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा अनियमितताऐ कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा क्रमांक/रसद/विधि/81/2016/41/105 दिनांक 04.05.2016 द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके साथ ही अपीलार्थी प्रकरण में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से असफल रहे है, जिससे यह साबित किया जा सके कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने में किसी भी प्रकार से कोई विधिक भूल कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर बलहीन होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन के कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति जब्त करने के दिये गये आदेश में किसी प्रकार के संशोधन हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में जहॉ मियाद के बिन्दु का प्रश्न है अधिनियम 1955 में जहॉ प्रावधित किया गया है कि आदेश की दिनांक से 30 दिवस की समयावधि को प्रावधित किया गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी को प्रकरण की जानकारी/तामील दिनांक 03.06.2016 को हो चुकी। इसके पश्चात प्रकरण में अपीलार्थी प्रकरण में लगातार क्रमानुक्रम में आदेशिकाओं का अंकन है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी दिनांक 03.06.2016 से दिनांक 01.11.2017 तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण के संबंध जानकारी प्राप्त कर सकता जो कि अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया। अधिनियम 1955 में आदेश के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत की निर्धारित अवधि 30 दिवस निर्धारित की गई जबकि अपीलार्थी द्वारा कुल 768 दिवस बाद न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई। उक्त विलम्ब की अवधि को क्षम्य किये जाने बाबत् अपीलार्थी की और से किसी भी प्रकार से कोई ठोस कारण प्रस्तुत किये गये बल्कि अपीलार्थी अपने प्रार्थना पत्र में केवल जानकारी प्राप्त होना अवगत कराया गया है, जबकि अपीलार्थी को अपने प्रकरण के संबंध में स्पष्ट जानकारी होना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में विलम्ब का कोई युक्ति युक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। हमने न्यायालय निर्णय दिनांक 01.11.2017 का अवलोकन किया। न्यायालय निर्णय दिनांक 01.11.2017 द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण मियाद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण पर भी सारहीन होकर अपीलार्थी की अपील बलहीन होना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण अपील(रसद) अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 083/2016 अनवानी सरकार बनाम नरेश में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.04.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़